आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

आदेश पर कारवाई में टिप्पणी सहित।

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0पी0 वाद संख्या– 12/2012–13

रावण बागती –बनाम– आवेदिन मोमीन वगै0

प्रथम पक्ष

1. रावण बागती, पिता–स्व0 पंचू बागती, सा0–सोनाजोरी, थाना–बरहेट, जिला–साहेबगंज।

02/11/21

द्वितीय पक्ष

1. आवेदिन मोमीन, पिता–स्व0 गया मोमीन, सा0–सोनाजोरी, थाना–बरहेट, जिला–साहेबगंज।
2. हसीना बीबी, पति–शुमसुद्दीन मोलवी,
3. आस मोहम्मद मोमीन, पिता–स्व0 राधा मोमीन, सा0–सोनाजोरी, थाना–बरहेट, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

आवेदक लगातार अनुपस्थित। आवेदक को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु कई बार नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु उनके द्वारा न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। उन्हें निबंधित नोटिस भी जारी किया गया।

विपक्षीगण लगातार उपस्थित रहते है। इसलिए एकतरफा सुनवाई की गयी।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आर0एम0पी0 वाद सं0 12/2005–06 में दिनांक 24.02.2011 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि पक्षकारों के बीच प्रश्नगत भूमि विवाद को लेकर माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में वाद अंगीकृत हेतु लंबित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा इस विषय वस्तु पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–67 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि मामला उच्चतर न्यायालय में दर्ज है। अतएव आवेदक के आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाता है।

आदेश उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को दिखावें।

लेखापित एवं संशोधित।

2/11/21
उपायुक्त,
साहेबगंज।

2/11/21
उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.13 14:00:54 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner